

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प० 30(1) म.म. / 2016

जयपुर दिनांक:- 5/1/16

परिपत्र

**विषय :-राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वर्ष 2015-16 के प्रगति विवरण /
प्रशासनिक प्रतिवेदन भेजने बाबत।**

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र फरवरी, 2016 में प्रारम्भ होने की संभावना है। सदैव की भाँति बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राजकीय विभागों एवं उपकर्मों द्वारा वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण / प्रगति की प्रतियां राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने हेतु भिजवानी होती है।

इस संबंध में लेख है कि मुख्य सचिव गहोदय के हस्ताक्षर से जारी वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 4(3)वित्त-1(1)बी/2006 दिनांक 27.4.2006 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में विभागीय व्यय के आंकड़े दिसम्बर, 2015 तक के ही शामिल किये जावें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि विधानसभा में भेजे जाने वाले वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों का उल्लेख नहीं किया जावे।

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व या बजट प्रस्तुत करने से एक सप्ताह पूर्व निश्चित रूप से विधानसभा को भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। प्रतिवेदन की 5 प्रतियां वित्त (आय-व्ययक) विभाग, एक-एक प्रति प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, समस्त माननीय सांसदों को एवं एक प्रति इस सचिवालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। कृपया प्रगति विवरण / प्रशासनिक प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में ही भेजा जाना सुनिश्चित करें।

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में एकरूपता तथा इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसमें निम्न बिन्दुओं को भी समस्त राजकीय विभागों एवं उपकर्मों द्वारा वर्ष 2015-16 के प्रगति विवरण / प्रशासनिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जावे:-


1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा।
2. स्वीकृत- कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण।
3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना।
4. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि।
5. सार- संक्षेप (Executive summary)।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


(अजित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त गुरुव्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग / प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष


शासन उप सचिव